

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 100-116 सीडर, ब्लॉक-44, इन्दौरवाड़ा परिसर, गुडगाँव, हरियाणा-122002
सूचना कार्यालय: नं 67/बी और 68, द्वितीय तल, पी. नं 277, अक्षर रोड, श्रीरंगपुर के बगल में, गैंगार, राजस्थान। शाखा कार्यालय: वार्ड नं 23, मूलतः, राजीवजी कॉम्प्लेक्स स्टेशन रोड पूर-331001

अचल संपत्ति के लिए कच्चा-सूचना
शुक्र, आठवाँलासारी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिकृति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के तहत इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा के मात और प्रतिकृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अधिनियम 13(2) के तहत प्रदान की जा रही है।

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
ई.ओ.आई सूचना संख्या-मुख्यालय - 43/2024-25
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में विभिन्न कार्य हेतु ई.ओ.आई में निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने वाले से निर्धारित प्रपत्र नं ई-प्रायोरामेंट प्रक्रिया से ऑन लाईन ई.ओ.आई आम्बिजि की जाती है।

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Indira Circle, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur - 302004
No. JDA/EE(Garden-I)/2024/0-115
NOTICE INVITING BID
NIB NO.: JDA/EE(Garden-I)/23/2024-25

Online Bids are invited up-to 06:00 PM of 28.02.2025 for "Maintenance and Management of the Kishan Bag Project." The last date for Applying Bid and making online payment on JDA portal is up-to 06:00 PM of 28.02.2025. The estimated cost of NIB is Rs. 363.00 Lacs.

फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
सूचित नं. 1101, 11वीं तल, सिंगारन, भूप्रसन्न सं. 71ए, पोष, पासपोली, मुंबई-400 087
अधिग्रहण सूचना

जबकि, अधोस्तोकाकर्ता ने फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसाम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिकृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिकृति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शर्तियों के प्रयोगान्तर्गत, एक माँग सूचना दिनांकित 19 जनवरी 2024 दिनांक की थी, जिसमें उपाकारकर्ता, बंधककर्ता, सह-उपाकारकर्ता(बी) तथा शाहवासन - (1) (श्री अनिरुध राय (उपाकारकर्ता), (2) श्रीमती सपना सुधार (सह-उपाकारकर्ता), (3) श्री धनश्याम लाल जागिड़ (सह-उपाकारकर्ता), और (4) श्री ओम प्रकाश सुधार (सह-उपाकारकर्ता) को सूचित किया जाता है कि अधोस्तोकाकर्ता प्राधिकृत अधिकारी ने यहाँ इस्में निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिकृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित सरकारों/एसि अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उक्त प्रदत्त शर्तियों के प्रयोगान्तर्गत, 30 जनवरी 2025 को, अधिग्रहण कर लिया है।

यहाँ इस्में उपरोक्त खण्ड में वर्णित उपाकारकर्ता, बंधककर्ता, सह-उपाकारकर्ता(गुण) तथा शाहवासन उक्त संपत्ति का विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर प्रतिभूतिगत करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्वारा उपाकारकर्ता, बंधककर्ता, सह-उपाकारकर्ता(गुण), शाहवासन तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोस्तोकाकर्ता प्राधिकृत अधिकारी ने यहाँ इस्में निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिकृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित सरकारों/एसि अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उक्त प्रदत्त शर्तियों के प्रयोगान्तर्गत, 30 जनवरी 2025 को, अधिग्रहण कर लिया है। यहाँ इस्में उपरोक्त खण्ड में वर्णित उपाकारकर्ता, बंधककर्ता, सह-उपाकारकर्ता(गुण), शाहवासन तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोस्तोकाकर्ता प्राधिकृत अधिकारी ने यहाँ इस्में निम्न विवरणित संपत्ति का कोर्स न एक्सीटरी भी प्रकार का लेन-देन, ऋण अनुबंध संख्या- FEDJODSTL0497743 के अंतर्गत, राशि र. 25,43,028.57/- (रुपये पच्चीस लाख तैंतालीस हजार अठ्ठाईस और सत्तावन पैंसे मात्र) 12.11.2024 के अनुसार, का संविदागत दर पर राशि पर निशत मावी ब्याज तथा समस्त लागतों, शुल्कों एवं आकस्मिक व्ययों, इत्यादि के साथ, उक्त माँग सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभूतिगत करने को कहा गया था। यहाँ इस्में उपरोक्त खण्ड में वर्णित उपाकारकर्ता, बंधककर्ता, सह-उपाकारकर्ता(गुण) तथा शाहवासन उक्त संपत्ति का विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर प्रतिभूतिगत करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्वारा उपाकारकर्ता, बंधककर्ता, सह-उपाकारकर्ता(गुण), शाहवासन तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोस्तोकाकर्ता प्राधिकृत अधिकारी ने यहाँ इस्में निम्न विवरणित संपत्ति का कोर्स न एक्सीटरी भी प्रकार का लेन-देन, ऋण अनुबंध संख्या- FEDJODSTL0497743 के अंतर्गत, राशि र. 25,43,028.57/- (रुपये पच्चीस लाख तैंतालीस हजार अठ्ठाईस और सत्तावन पैंसे मात्र) 12.11.2024 के अनुसार, का संविदागत दर पर राशि पर निशत मावी ब्याज तथा समस्त लागतों, शुल्कों एवं आकस्मिक व्ययों, इत्यादि हेतु फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्रामाणिक होंगा। उपाकारकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को ऋणमुक्त कराने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (6) को और आकृष्ट किया जाता है।

प्रपत्र-जे (पुनः जारी)
अभिक्रमिक की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण
"स्टडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड" परामु, हिमाचल प्रदेश में सिंचाई प्रणाली और बिजली उत्पादन उपयोज्य के डिजाइन में कार्यरत है।

प्रसंगिक विवरण
1. कॉर्पोरेट दस्तावेज का नाम
सायम में वन/सीआइएन/एनएलपी नं.
2. पंजीकृत कार्यालय का पता
3. वेबसाइट का यूआरएल
4. सरकारी तालिका नंबर
5. मुख्य उत्पादों / सेवाओं की सूची

- 6. मुख्य उत्पादों की मात्रा और मूल्य / फिजिले वित्तीय वर्ष में बेची हुई सेवाएं
7. कर्मचारियों / कामगारों की संख्या
8. अधिक विवरण जिसमें गिजनेट डे वर्क के वित्तीय विवरण (अनुभवपूर्वकों के साथ), उपकरणों की सूची, धातु प्रारंभ और बेजकार भी प्रादान किया जा सकता है।
9. सहिला की धारा 25(2)(एच) के तहत सामान्य आवेदकों के लिए पात्रता यहां उपलब्ध है।
10. अभिलेखिक की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि
11. संपादित सामान्य आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि
12. अंतिम सूची को बारे में अपेक्षा/प्रतिस्तर करने हेतु अंतिम तिथि
13. संपादित सामान्य आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि
14. संपादित सामान्य आवेदकों को सूचना डायनामिक मॉड्यूल और सामान्य योजनाएं तैयार करने के लिए अंतिम तिथि
15. सामान्य योजनाएं जमा करने की अंतिम तिथि
16. ईओआई जमा करने के लिए संपादित सूचना अंतिम तिथि

मोट: फॉर्म के अंतर्गत दी गई सलाह-सीमा माननीय न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की अनुमोदन के अधीन है।
हस्ता -/
सीए अग्रगण्य मोहन
तिथि: 04.02.2025
सामान्य प्रायोगिक, स्टडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड
पंजीकरण नं: IBBI/PA-001/HP-P00878/2017-18/11460
पंजीकृत पता: प्लॉट नं. 8, पहली मंजिल, स्टेट बैंक नगर, परियम विहार, नई दिल्ली-110063

व्यूटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: वेगमपुर खटोला, खांडसा, कृष्णा मारुति के पास गुडगांव, बसई रोड, हरियाणा- 12200
दूरभाष सं. : 91-7441988507
सीआइएन नं. : L24239HR1984PLC040797

असाधारण आम बैठक की सूचना और ई-वोटिंग की जानकारी
ग्रीय वासपुत्राण,
व्यूटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की 02वीं असाधारण आम बैठक (ईजीएम) गुरुवार, 27 फरवरी, 2025 को दोपहर 12:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय वेगमपुर खटोला, खांडसा, कृष्णा मारुति के पास, गुडगांव, बसई रोड, हरियाणा -122001 में आयोजित की जाएगी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 170 प्रावधानों के अनुपालन में होगी, साथ ही इसके संबंधित किसी भी एमसीए परिषद के अनुपालन में, ईजीएम की सूचना में निर्धारित व्ययसमायों का संचालन किया जाएगा।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिषदों के अनुपालन में, ईजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां केवल उन शेयरधारकों को भेजी जाएगी, जिनका नाम गुरुवार, 20 फरवरी 2025 को कारोबार के समाप्त समय पर सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देता है। और जिनके ईमेल पते डिजिटल संपत्ति प्राधिकरणों या कंपनी या मेसर्स वीटफ फाइनेंशियल एंड कंयूजर सर्विसेज (पी) लिमिटेड, (कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्सफर एजेंट) के पास उपलब्ध हैं। उक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.newtimeinfra.in और सीडीआइए वेबसाइट www.evotingindia.com और बीएसई वेबसाइट यानी www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2015 के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के साथ, सदस्यों को सीडीएसएल द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग (ईजीएम से पहले) और ई-वोटिंग (ईजीएम के दौरान) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है। रिमोट ई-वोटिंग अवधि सौभाग्य, 24 फरवरी 2025 को सुबह 10:00 बजे से शुरू होगी और सुबह, 26 फरवरी 2025 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं, बुधवार, 26 फरवरी 2025 को शाम 5:00 बजे के बाद इलेक्ट्रॉनिक मोड से ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। निम्न सदस्यों ने ईजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, उन्हें ईजीएम में वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, रिमोट ई-वोटिंग, ईजीएम में शामिल होने और ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश ईजीएम की सूचना में दिए गए हैं।

Ujjain Small Finance Bank
सूचना नम, जीएफटी भावन सी-7
सेक्टर 3 मोडस ब्र.ए. 201301

सार्वजनिक प्रकाशन के माध्यम में वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिकृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत किया जाता है।

Table with 6 columns: प्रपत्र और चर्चा, प्रतिकृति संपत्तियों का विवरण, पुराने की तिथि, नियंत्रित तिथि, निशत मूल्य के अनुसार प्रस्ताव, और अन्य जानकारी।

Table with 6 columns: प्रपत्र, चर्चा, प्रतिकृति संपत्तियों का विवरण, पुराने की तिथि, नियंत्रित तिथि, निशत मूल्य के अनुसार प्रस्ताव, और अन्य जानकारी।

Table with 6 columns: प्रपत्र, चर्चा, प्रतिकृति संपत्तियों का विवरण, पुराने की तिथि, नियंत्रित तिथि, निशत मूल्य के अनुसार प्रस्ताव, और अन्य जानकारी।

सूचना नम, जीएफटी भावन सी-7
सेक्टर 3 मोडस ब्र.ए. 201301
सार्वजनिक प्रकाशन के माध्यम में वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिकृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत किया जाता है।

ई-नौपानों पर सिक्रेड हेतु सार्वजनिक सूचना (पारदर्शक - IV ए) (नियम 8(6))

Table with 6 columns: विवरण, सार्वजनिक सूचना, पारदर्शक - IV ए, (नियम 8(6)), और अन्य जानकारी।

Table with 6 columns: सार्वजनिक सूचना, पारदर्शक - IV ए, (नियम 8(6)), और अन्य जानकारी।

Table with 6 columns: सार्वजनिक सूचना, पारदर्शक - IV ए, (नियम 8(6)), और अन्य जानकारी।

Table with 6 columns: सार्वजनिक सूचना, पारदर्शक - IV ए, (नियम 8(6)), और अन्य जानकारी।

Table with 6 columns: सार्वजनिक सूचना, पारदर्शक - IV ए, (नियम 8(6)), और अन्य जानकारी।

सार्वजनिक प्रकाशन के माध्यम में वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिकृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत किया जाता है।